

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पिटल रोड,

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०- PMAA/PRN/Bhusaula Danapur/Phulwarisharif/Tower 1- G+10 , Tower 2- G+ 10, Tower 3- B+G+13, Tower 4 - B+G+13, Tower 5- B+G+8, EWS, LIG Tower /109/2018- — 174 —

पटना, दिनांक- 10.12.2018

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,

बिहार पटना।

सेवा में,

श्री सुमन कुमार सिंह(प्रबंध निदेशक),

M/S बलप्रदा बिल्ट प्रा०लि० एवं प्रबंध निदेशक, श्री अनिल कुमार सिन्हा (टावर-5) M/S अरिहंत कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०।

312 5th Floor, Near RBI, Adharshilla complex,
South Gandhi Maaidan, Patna 800001, (BIHAR).

विषय:- प्लान केस संख्या-PMAA/PRN/Bhusaula Danapur/Phulwarisharif/ Tower 1- G+10 , Tower 2- G+ 10, Tower 3- B+G+13, Tower 4- B+G+13, Tower 5- B+G+8, EWS, LIG Tower /109/2018 की स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

आपके आवेदन सं०:- PMAA/PRN/Bhusaula Danapur/Phulwarisharif/ Tower 1- G+10, Tower 2- G + 10, Tower 3- B+G+13, Tower 4- B+G+13, Tower 5- B+G+8, EWS, LIG Tower /109/2018 दिनांक- 29.11.2018 के संदर्भ में श्री सुमन कुमार सिंह (प्रबंध निदेशक), श्री M/S बलप्रदा बिल्ट प्रा०लि० एवं प्रबंध निदेशक, श्री अनिल कुमार सिन्हा (टावर-5) M/S अरिहंत कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०। बिहार, पटना (बिहार) के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम के मौजा- भुसौला दानापुर, मोहम्मदपुर, कोरजी, थाना संख्या- 40, 41, सर्वे प्लॉट संख्या- 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 92, 93 1282, 1283, 1330, 1349, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350 पर विभिन्न टावरों यथा, Tower 1- G+10 , Tower 2- G+ 10, Tower 3- B+G+13, Tower 4- B+G+13, Tower 5- B+G+8, EWS, LIG Tower /109/2018 की खाता नं०- 57, 32, 29, 40, 30, 45, 21, 306, 295, 14, 73, 63, 16, 2, 402, 09 में आवासीय भवन के स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 16197.48m² वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पटना मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 27.4मी० चौड़ी सड़क के लिए प्लॉट के पूर्व में 246.60 वर्गमीटर (9.0मी०x 27.4मी०) भूमि की पट्टी आवेदक द्वारा छोड़ा गया है। जिसे आवेदक उपहार के रूप में प्राधिकार को देगा, इस पर किसी प्रकार का दावा नहीं होगा और किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
11. निर्माणकर्ता को Affordable Housing के अंतर्गत नक्शा में प्रावधानित Area का निर्माण सुनिश्चित करना होगा।
12. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।
13. Ministry of Environment, forest climate change Department द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रावधानित सभी बिन्दुओं को स्थल पर प्रावधान करना होगा।
14. अनुमोदित योजना में प्रावधानित STP का निर्माण करना सुनिश्चित करना होगा।
15. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
16. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के D.C.R में प्रावधानित के आलोक में निर्माण करना होगा

शिवम
10.12.18
सहायक अभियंता
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

विश्वासभाजन,
अमर सिंह
प्रभारी निदेशक, 10.12.18
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
पटना।